संख्या: 06/2018/1004/43-1-2018-14(68)2017

प्रेषक,

एस.आर. यादव
संयुक्त सचिव|
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
विभूतिखण्ड,गोमतीनगर लखनऊ।

प्रषासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त,2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में लघु निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ के पत्र संख्याः 469/उ०प्र०सू०आ०/अधिष्ठान/32/2017, दिनांक 07.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में लघु निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराषि रू० 15,00,000/- (रू० पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा,जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है,किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा ब्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों,समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्याः 46 के "लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य"के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018 , दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस०आर०यादव)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,विभूतिखण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2/ वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०आर०यादव)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।